



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-77

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 216252 दिनांक 17/05/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	P PRIYANKA MEENA W/o Radhey Shyam Meena	श्रीमती प्रियंका मीना पत्नी श्री राधेश्याम मीना	D-1	259.00 SQ. YARD	Cooperative	VISHNU VIHAR Sector/Block- D	Sub Division and Reconstit ution	पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना विष्णु विहार के भूखण्ड संख्या डी-1 क्षेत्रफल 259 व.ग. का फ्री होल्ड पट्टा दिनांक 06.01.2023 को श्री सुभाष सिहाग पुत्र श्री मनीराम सहाग के पक्ष में जारी किया गया। श्री सुभाष सिहाग द्वारा श्रीमती उर्मिला मीना पत्नी श्री सचिव मीना को विष्णु विहार के भूखण्ड संख्या डी-1 क्षेत्रफल 259 व.ग. में विभाजित भूखण्ड संख्या डी-1 (उत्तरी हिस्सा) क्षेत्रफल 129.50 व.ग. का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.2.2024 के



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

द्वारा किया गया है। श्रीमती उर्मिला मीना द्वारा श्रीमती प्रियंका मीना पत्नी श्री राधेश्याम मीना को विष्णु विहार के भूखण्ड संख्या डी-1 क्षेत्रफल 259 व.ग. में विभाजित भूखण्ड संख्या डी-1 (उत्तरी हिस्सा) क्षेत्रफल 129.50 व.ग. का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.02.2024 के द्वारा किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. P PRIYANKA MEENA W/o Radhey Shyam Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |